क्या बच्चे सुरक्षित हैं :

कई बार बच्चे असुरक्षित वातावरण में होते हैं, जब अभिवावक उन्हें छोड़कर काम पर चले जाते हों, या उन्हें घर पर अकेला छोड़ गए हों या जब बच्चे स्वयं कार्य कर रहे हों। ये बच्चे सभी तरह के शोषण फिर वह चाहे कार्यस्थल पर हो या सार्वजनिक स्थानों पर हो अथवा भ्रमणकारी यौन अपराधियों एवं बाल यौनपीड़कों के द्वारा किया गया हो, यह स्थितिया इनकी अवस्था को और भी दयनीय बना देता हैं।

अधिकांशतः लोगों ने यह बताया कि प्रवासी बच्चे सर्वाधिक जोखिम में रहते हैं इन्हें हर वक्त किसी न किसी रूप में चाहे मौखिक एवं शारीरिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, मानवतस्करी और श्रम जैसे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। पर्यटन उद्योग का जिन पर्यटकों से सामना पड़ता है उनमें से 31 प्रतिशत जिसमें मुख्यतः घरेलू पर्यटक हैं, जो बच्चों के शोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि यदि आपको कोई बच्चा संकट में दिखाई दें तो आप किससे संपर्क करेंगें, तब यह पाया गया कि 58 प्रतिशत बच्चों को, पर्यटन उद्योग से जुड़े 52 प्रतिशत व्यक्तियों को एवं 70 प्रतिशत से अधिक पर्यटकों को इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं थी।

बाल संरक्षण के प्रति उदासीनता को सरकारी अधिकारियों की अनिच्छा भी माना जा सकता है। गोवा पर्यटन विकास निगम के एक अधिकारी से यह पूछने पर कि उनका सामना यदि किसी ऐसे पर्यटक से हो जाए जो कि बच्चे का सहचर्या चाहता हो तो, वह क्या करेंगे। इस पर उनका जवाब था, "हम उनकी अनदेखी कर देंगे या पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे।" उत्तरी गोवा के एक बी डो ओ (ब्लाक डेवलपमेंट ऑफिसर) से जब पूछा गया कि बच्चों की सुरक्षा के संबंध में पंचायत विभाग की क्या जिम्मेदारी है ? तो उनका जवाब था, "यह हम पर लागू नहीं होता।"

प्रवासी परिवार और उनमें भी विशेषतः बच्चों के सामने कठिन राह है। पर्यटन न तो उनके कार्य को और न ही अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देता है। इस अंचल में रहने वाले ताकतवर लोग तो पर्यटन के माध्यम से फल फूल रहे हैं। वह तो यह प्रवासी समुदाय है जिसका दमन लगातार जारी है और जीवित रहने और आजीविका के संघर्ष में उन्हें लगातार भेदभाव एवं यौन शोषण का सामना करना पड़ रहा है। इसे संज्ञान में लेना होगा कि गोवा का पर्यटन किस हद तक रसातल में जा चुका है और उसका खामियाजा प्रवासियों को उठाना पड़ रहा है।

कैसे निपटा जा सकता है ?

यह आवश्यक है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी प्रकार के प्रवासियों से संबंधित अधिकारों के सम्मेलन का अनुमोदन करे। इस हेतु बेहतर निर्वाह एवं समुचित कार्य का आधार स्थापित करना अनिवार्य है। इस बात की भी आवश्यकता है कि प्रवासी व्यक्तियों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए और इसी के साथ वर्तमान कानूनों की इस तरह से समीक्षा एवं संशोधन हो जिससे कि प्रवासी व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्षेत्रवार ऐसा व्यापक शोध होना चाहिए जिससे कि विभिन्न उद्योगों की अर्थव्यवस्था में और गोवा के विकास में प्रवासियों के योगदान का परीक्षण हो सके।

महिला एवं बाल विकास विभाग, पर्यटन विभाग के साथ मिलकर "गोवा में बाल शोषण को समाप्त करने हेतु एक राज्यस्तरीय कार्ययोजना" विकसित करे, जिसमें अन्य सभी पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) को भी शामिल किया जाए। हेल्पलाइन सेवाएं (जैसे 1098 चाइल्ड लाइन) को यह गारंटी देते हुए सशक्त बनाया जाए कि उनके पास नेटवर्क होगा और बच्चों को संकट के समय आवश्यक सेवाएं जिसमें पीड़ित को संरक्षण देने वाली सेवाएं व पुलिस फालोअप भी शामिल हैं, उपलब्ध रहेंगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग, सरकारी अधिकारियों एवं कानून का अनुपालन करवाने वाले अधिकारियों के लिए जागरुकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करे जिससे वे प्रभावशाली ढंग से बाल दुर्व्यवहार के मामले जिनमें अपराधियों को दंडित किया जाना शामिल है की प्रक्रिया से परिचित हो सकें। पर्यटन विभाग के लिए भी आवश्यक है कि वह उन विभिन्न संहिताओं (कोड) एवं प्रणालियों के बारे में जागरूक हो जो कि बच्चों के संरक्षण हेतु विद्यमान हैं। साथ ही वह उन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करे जहां पर बार–बार बच्चों का शोषण होता है।

यह आवश्यक है कि प्रत्येक गांव में एक सक्रिय ग्राम बाल संरक्षण समिति (Village Child Protection Committee) का गठन हो।

साथ ही पर्यटन में बच्चों की स्थिति का परीक्षण करने के लिए पंचायतों, पुलिस एवं गैरसरकारी संगठनों (एन जी ओ) के मध्य साझेदारी के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण प्रणालियां (Social Auditing System) तैयार की जाएं।

पर्यटन विभाग एवं पर्यटन उद्योग की भागीदारी में एक व्यापक मीडिया अभियान चलाया जाए जो कि पर्यटकों को जानकारी दे कि बच्चों का शोषण, बाल यौन पर्यटन एवं बाल श्रम स्वीकार्य नहीं है। एक जिम्मेदार पर्यटन के रूप में पर्यटन उद्योग नीतिगत स्तर पर "बाल शोषण हेतु शून्य समझौता" (Zero Tolerance to Child Exploitation) को बढ़ावा दे।

यह शोध, हमारे कार्य "बच्चों के खिलाफ हिंसा को कम करना, जिसका विशेष ध्यान बच्चों का यौन शोषण एवं बाल यौन पर्यटन" पर था, का हिस्सा है। यह केरिटास गोवा, सेंटर फार रिसपांसिबल टूरिज्म, चाइल्ड राइट्स इन गोवा, ईक्वेशंस, जग उगाही एवं विकास संवाद के साथ मिलकर किया गया है। पूरी रिपोर्ट की प्रतियां आनलाइन www.childrightsgoa.org / www.equitabletourism.org/ www.janugahitrust.com / www.responsibletourismgoa.com पर उपलब्ध हैं।

यह शोध यात्रा एवं पर्यटन में बच्चों के यौन शोषण के वैश्विक अध्ययन का एक हिस्सा है (Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel & Tourism) (www.globlestudysectt.org)

CARITAS-GOA · Centre for Responsible Tourism · Children's Rights in Goa · Equations · JAN UGAHI TRUST · VIKAS SAMVAD

कठिन राह

प्रवासी बच्चों का गोवा के पर्यटन उद्योग में शोषण

कठिन राह

प्रवासी बच्चों का गोवा के पर्यटन उद्योग में शोषण

सन् 1980 के दशक के अंत से ही गोवा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल रहा है। इस दौरान यह कठोर सच्चाई सामने आई कि कुछ पर्यटक बच्चों के शोषण में शामिल हैं। पर्यटन में वृद्धि के साथ ही यहां भारत के अन्य राज्यों एवं पड़ोसी देश (नेपाल) से, प्रवासियों की जनसंख्या में, जो कि यहां रोजगार की तलाश में आते हैं, में लगातार वृद्धि हो रही है। यह शोध तीन क्षेत्रों: बच्चों, पर्यटन और पलायन के मध्य विद्यमान अंर्तसंबंधो को दिखाता है।

1961 में गोवा के पुर्तगालियों सें आजाद होने के पहले तीन दशकों के दौरान पड़ोसी राज्यों से नौकरशाहों, शिक्षकों एवं उद्योगपतियों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1980 एवं 1990 के दशक के दौरान निर्माण उद्योग में आए तेजी ने पर्यटन उद्योग को कई गुणा बढ़ावा दिया। प्रवासी श्रमिको ने सभी स्तरों की नोकरीयों मे पद भार संभाल लिया जैसे प्रबंधन व पर्यावरण के कार्य निर्माण, विकता, छोटे व्यापार, पर्यटन उद्योग से जुड़े कार्य, और यहां तक कि मछली मारने तक के कार्य शामिल थे। परिणामतः विगत कुछ वर्षो से लगभग 80 प्रतिशत प्रवासी समुदाय असंगठित क्षेत्रों में आकास्मिक एवं कम कुशल मजदूर के रूप में कार्यरत हैं।

शोध की इस प्रक्रिया में, प्रश्नावलियां, अवलोकन के अलावा प्रवासी परिवारों के सदस्यों, बच्चों, पर्यटन उद्योग के सदस्यों, पर्यटकों, जिला एवं राज्य सरकार के विभागों, कानून का अनुपालन कराने वाली एजेंसियों एवं समाज

पलायन को कुछ इस तरह से समझाया जा सकता है। इसमें सामान्यतः एक राजनीतिक सीमा के पार व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं एवं उनका उद्धेश्य वहां स्थायी या अस्थायी निवास होना है। लोग या तो स्वयं जाने का निश्चय करते हैं या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें उन्हें अपनी अनिच्छा के बावजूद वहां से जाने को मजबूर होना पड़ता है।

के ऐसे सदस्य जिन्हें इस मामले का ज्ञान है, के साथ समूह चर्चा किया जाना शामिल है। इस नमूना सर्वेक्षण के माध्यंम से प्रदेश भर के 16 मलिन बस्तियों के 658 व्यक्तियों से प्रतिक्रिया ली गई है।

प्रवासी परिवारों की स्थिति

गोवा में पलायन कर आए व्यक्तियों में से बड़ी संख्या में लोग कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मु–कश्मीर, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और नेपाल से आए हुए हैं। इनमें से अधिकांशतः सामाजिक रूप से वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/धुमंतु जातियां या अन्य पिछड़े समुदायों से हैं।

इन परिवारों को अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष में अत्यधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह लोग अपने एवं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ आजीविका कमाने के साधनों की तलाश में अपने घरों को छोड़कर दूर अनजान स्थानों पर आतें है। कौशल एवं संपत्ति की कमी के चलते अधिकांश प्रवासी अंततः अनियोजित क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और बड़ी संख्या में पर्यटन में रोजगार पाते हैं। प्रवासी आबादी का बहुत बड़ा भाग समुद्र तटों पर वस्तुओं को बेचने शैक (कुटीया, झौपड़ीयां)/रेस्तरां/होटलो में खाना बनाने, सफाई करने, वेटर के रूप में, सुरक्षा व्यवस्था में, गाड़ी चालकों के रूप में या कलाबाजी करके

प्रवासी परिवारों की स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े

- 38 प्रतिशत प्रवासी 16 से भी अधिक वर्षो से गोवा में रह रहे हैं। अतएव में स्थानीय निवासी (Domicile) की श्रेणी में आते हैं। परंतु उन्हें अभी भी बाहरी व्यक्ति माना जाता है जिसकी वजह से उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
- 30 प्रतिशत प्रवासी पर्यटन संबंधी रोजगारों से जुड़े हैं। इनमें से केवल 30 प्रतिशत महिलाएं मुख्यतः समुद्रतट, दुकानों एवं होटलों में कार्यरत हैं।
- इनमें से 82 प्रतिशत को तो न्यूनतम मजदूरी भी प्राप्त नहीं हो पाती है, अतएव इनका अस्तित्व तो अत्यंत दरिद्रावस्था वाला है। इनमे 34 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 5000 से भी कम है। वही 48 प्रतिशत परिवार की मासिक आमदनी 6000 से 10000 के बीच में है।
- पर्यटन उद्योग में कार्यरत में से 58 प्रतिशत को दैनिक मजदूरी का भुगतान होता है।

सैलानियों का मनोरंजन करने के माध्यम से पैसे कमाकर अपनी जीविका चलाते हैं। हालांकि ये पर्यटन एवं इससे जुड़े क्षेत्रों की रीढ़ की हड्डी हैं, खासकर जब कम भुगतान वाली नौकरियों की बात आती हो। इन्हें कर्मचारी की तरह मान्यता नहीं दी जाती, इनके कार्य करने की स्थितियां अक्सर अत्यंत दयनीय होती हैं और इसमें कार्य के लंबं घंटे, अल्प मजदूरी एवं कार्य की कोई सुरक्षा न होना शामिल हैं। नियोक्ता भी स्थानीय व्यक्तियों के बजाय प्रवासी कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे कम मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, ज्यादा मेहनत से और देर तक कार्य करते हैं, कम छुटिटयां लेते हैं, अधिक आज्ञाकारी और कम मांग करने वाले होते हैं। इनके कार्य का अप्रत्यक्ष रहना या प्रत्यक्ष तौर पर सामने न आने के साथ इनकी शैक्षणिक स्थिति एवं आमदनी का तरीका भी इन समुदायों को और भी कमजोर बना देता है।

इसके अलावा जब वह स्वयं को इस निराशजनक रहने की स्थिति में पाते हैं तब उनके कष्ट और भी बढ़ जाते हैं। अधिकांश प्रवासी कर्मचारी एक साथ मलिन बस्तियों में रहते हैं जहां पर उन्हें उनके जाति, वर्ग और भाषायी आधार पर दूंस दिया जाता है। उन्हें उपलब्ध घर फिर वह चाहे किराये पर हो या नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया हो में अक्सर पानी, बिजली, ड्रेनेज व सीवेज प्रणाली का कमोवेश अभाव रहता है। रहने की शोचनीय एवं गंदगी भरी स्थितियों के चलते प्रवासियों का स्वास्थ्य अधिक जोखिम भरा हो जाता है और उनमें बिमारी एवं संक्रमण होने का खतरा ओर भी बढ़ जाता हैं।

प्रवासियों को सिर्फ काम करने व रहने की कठोर परिस्थितियों से ही नहीं जूझना पड़ता बल्कि सामाजिक तिरस्कार के रूप में स्थानीय लोगों के रोष (गुस्सा) का भी सामना करना पड़ता है। गोवा के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि इन प्रवासी लोगों की ही वजह से गोवा में पर्यटन पर तमाम नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। उन पर ड्रग्स, यौनाचार, रोजगार की संभावनाएं हथिया लेने और गोवा की पहचान और संस्कति को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए जाते हैं। समाज का अभिन्न अंग होने के बावजूद प्रवासियों को किसी ऐसे बोझ की तरह देखा जाता है जिसे कि सहन करना आवश्यक है।

प्रवासी बच्चों की स्थिति

सिर्फ इन परिवारों में जन्म लेने की वजह से बच्चे शोषणकारी स्थिति में धकेल दिया जाता है एवं इन्हे हर वक्त जोखिम का सामना करना पड़ता है। जैसे–जैसे वे बड़े होते जाते है वैसे–वैसे उनकी स्थिति और भी दयनीय होती जाती है क्योंकि राज्य के पास न तो कोई प्रक्रिया है और न ही कोई प्रणाली मौजूद है जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और उनके अधिकारों की रक्षा कर सके।

बच्चों के विद्यालय में नाम दर्ज न कराने या बीच में शिक्षा छोड़ देने के कई कारण बताए जाते हैं। परंतु इसमें सबसे मुख्य कारण आजीविका की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता को

संविधान संशोधन के अनुच्छेद – 21 अ के तहत् शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया है। बच्चों के अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम – 2009 के अनुसार, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को विद्यालयों में अनिवार्यतः पंजीकरण करवाया जाए।

लेकर संदेह होने से संबंधित हैं। इसके अलावा लैंगिक भेदभाव, एक जगह से दूसरी जगह लगातार आना जाना, अभिवावकों के पास समय की कमी, वित्तीय स्थिति नाजुक रहना, वैधानिक पहचान सिद्ध कर पाने वाले दस्तावेजों की अपर्याप्तता, गुणवत्ता मूलक शिक्षा तक पहुंच न होना और विद्यालयों में बच्चों को भेदभाव का सामना करना, कुछ अन्य ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं, जो कि बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं।

हाशिए पर डाल दिए जाने और गरीबी के चलते परिवार स्वयं को जिन परिस्थितियों में पातें हैं, उसके परिणामस्वरूप तमाम बच्चे अपने अभिवावकों की मदद करने वाली गतिविधियों में जुट जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं छोटे भाई बहनों या बूढ़े दादा–दादी का ध्यान रखना, घरेलू कार्यों में हाथ बटाना या आमदनी प्राप्त करने वाली गतिविधियों में भागीदारी करना। बच्चों के पास अक्सर ही चुनाव की सुविधा नहीं होती कि वे क्या काम करें। परंतु उन्हें कमाने की अनिवार्यता और काम की उपलब्धता के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अवसर देता है बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से श्रमशक्ति का हिस्सा बनने के लिए, जिस वजह से यह बच्चे उस स्थानों तक पहुंचा दिये जाते है जहां पर उनके आर्थिक, शारीरिक, यौन एवं भावनात्मक शोषण का खतरा बढ़ जाता है।

सामान्यतः लोगो को यह जानकारी है कि बालश्रम कराना गैरकानूनी है अतएव बाल श्रम संबंधी जानकारियों को अक्सर छुपा दिया जाता था। पर्यटन में बच्चों से मुख्यतः निम्न कार्य कराऐ जाते हैं, साधारण गहने आदि बेचना, कलाबाजी (कई बार आग के गोले से कूदना) दिखाना, रस्सी पर सर्कस, दुकानों/खाने की छोटी दुकानों/रेस्टारेंट/होटलों में कार्य करना। यह बच्चे अक्सर समुद्र तट पर बिना किसी वयस्क की देखरेख के कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। 4 वर्ष की उम्र तक के छोटे बच्चों को भी कार्य करते हुए देखा जा सकता है। अक्सर पालक स्वयं ही अपने बच्चों का कार्य पर भेजते हैं या इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों का कहना है कि उनके भाई बहन और दोस्त भी तो काम करते हैं।

प्रवासी बच्चों की स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े :

- इनमें से 92 प्रतिशत बच्चे अपने अभिवावकों के साथ रहते हैं। 14 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कि एक व्यक्ति परिवार (सिंगल पेरेंट फेमिली) में रहते हैं।
- 27 प्रतिशत का कभी भी विद्यालय में पंजीयन ही नहीं हुआ और वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। केवल 3 प्रतिशत ही 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर पाए हैं।
- 31 प्रतिशत बच्चे काम करते हैं। इनमें से 53 प्रतिशत सीधे–सीधे पर्यटन से जुड़े हैं।
- 34 प्रतिशत बच्चे काम करने के साथ अध्ययन भी करते हैं, जबकि 65 प्रतिशत शिक्षा पूर्ण होने के पूर्व (ड्रापआउट) विद्यालय छोड चुके हैं। पर्यटन के अंतर्गत यह अनुपात क्रमशः 24 प्रतिशत और 27 प्रतिशत है।
- पढ़ाई कर रहे 53 प्रतिशत बच्चे एक दिन में 3 से 4 घंटे काम करते हैं, बाकी के 20 प्रतिशत 5 से 12 घंटो तक कार्य करते हैं।
- 67 प्रतिशत को प्रतिदिन मजदूरी मिलती है।
- 48 प्रतिशत किसी न किसी मादक पदार्थ के आदी हैं। तंबाखू और धूम्रप्रान सर्वाधिक प्रचलित नशों में हैं।